

मुस्लमि महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

प्रलिस के लयि:

तलाकशुदा मुस्लमि महिलाओं के भरण-पोषण का अधिकार, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [आपराधिक प्रकरया संहति \(CrPC\)](#), [मुस्लमि सतरी \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#)

मेन्स के लयि:

तलाकशुदा मुस्लमि महिलाओं का भरण-पोषण का अधिकार, सरकारी नीतयिँ और वभिनिन कषेत्रों में वकिस के लयि हस्तकषेप और उनके डज़ाइन और कारयानवयन से उत्पन्न होने वाले मुददे ।

[स्रोत: द हदि](#)

चरचा में कयों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने यह जाँचने का फैसला कयि है कि कया एक तलाकशुदा मुस्लमि महिला अपने पूरव पतकि के खलिाफ [आपराधिक प्रकरया संहति \(CrPC\)](#) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जसिसे यह बहस फरि से शुरु हो गई है कि कया धरमनरिपेकष कानूनों को अलग-अलग वयकतगत कानूनों पर प्राथमकितता दी जानी चाहयि ।

- यह वविाद तब उत्पन्न हुआ जब एक मुस्लमि वयकतने अपनी पूरव पतनी को अंतरमि गुज़ारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के नरिदेश को चुनौती दी ।
- तर्क दयिा गया है कि इस मामले में भरण-पोषण [CrPC](#) की धारा 125 पर प्रचलति [मुस्लमि सतरी \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) (1986 अधनियम) के प्रावधानों द्वारा शासति होगा ।

मुस्लमि सतरी अधनियम, 1986 कैसे वकिसति हुआ है?

- **1986 से पहले: CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण:**
 - [मुस्लमि सतरी \(वविह वचिछेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) के अधनियमन से पहले, मुस्लमि महिलाएँ अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह [आपराधिक प्रकरया संहति \(CrPC\)](#) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती थी ।
 - मोहममद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई ।
- **1986 अधनियम:**
 - शाह बानो मामले के जवाब में, भारतीय संसद ने मुस्लमि महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधनियम बनाया, जसिसे तलाकशुदा मुस्लमि महिलाओं को **भरण-पोषण का दावा** करने के लयि एक वशिषिट तंत्र प्रदान कयिा गया ।
 - इसने भरण-पोषण की अवधि को इददत अवधितक सीमति कर दयिा और **राशिको महिला को दयिे जाने वाले मेहर या दहेज़ से जोड** दयिा ।
 - **इददत** एक अवधि है, आमतौर पर तीन महीने की, जसि एक महिला को अपने पतकि मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्वविाह करने से पहले पालन करना होता है ।
- **डेनयिल लतीफी बनाम भारत संघ मामला, 2001:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के अधनियम की संवैधानकि वैधता को बरकरार रखा लेकनि मुस्लमि महिला के पुनर्वविाह तक भरण-पोषण पाने का अधिकार बढा दयिा । हालाँकि इसने भरण-पोषण की अवधि को घटाकर इददत पूरा करने तक कर दयिा ।
- **वर्ष 2009:**
 - वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लमि महिलाएँ [CrPC](#) की धारा 125 के तहत **इददत अवधि के बाद भी गुज़ारा भत्ता का दावा** कर सकती हैं, **जब तक कयिे पुनर्वविाह नहीं** करती हैं ।
 - इसने इस **सदिधांत की पुष्टि** की कि [CrPC](#) प्रावधान **कसिी भी धरम पर लागू** होता है ।
- **वर्ष 2019:**
 - **पटना उच्च न्यायालय** ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि तलाकशुदा मुस्लमि महिलाओं के पास [CrPC](#) की धारा 125 और वर्ष 1986 अधनियम दोनों के तहत **गुज़ारा भत्ता मांगने का वकिल्प** है ।

- यह दोनों कानूनों की समवर्ती प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाएँ किसी भी प्रावधान के तहत अपने अधिकारों से वंचित न हों।

■ वर्तमान मामला:

- वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की अपील शामिल है, जिसकी पूर्व पत्नी ने हैदराबाद में एक पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसे तलाक दिया था और साथ ही **CrPC की धारा 125** के तहत **मासिक रखरखाव का दावा** किया था।
- पति ने तर्क दिया कि **मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986** के प्रावधान, एक विशेष कानून होने के कारण CrPC की धारा 125 पर प्रभावी होंगे।
 - उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष राहत की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि **वर्ष 1986 का अधिनियम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को महर तथा अन्य नरिवाह के मुद्दे पर नरिणय लेने का अधिकार क्षेत्र** प्रदान करता है।
 - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी ने **वर्ष 1986 अधिनियम की तुलना में CrPC प्रावधानों के लिये अपनी प्राथमिकता** बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जैसा कि **बाद की धारा 5** के अनुसार आवश्यक था।

मुस्लिम महिला (विविध अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019:

- एक मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने तलाक कहकर तलाक दे दिया है, वह **मुस्लिम महिला (विविध अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019** के तहत भरण-पोषण भत्ता मांग सकती है।
 - यह अधिनियम एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की किसी भी घोषणा को शून्य एवं अवैध घोषित करता है।
 - यह अधिनियम एक विशेष कानून है जो **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों को समाप्त** करता है, जो पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।
 - हालाँकि एक **तलाकशुदा मुस्लिम महिला, अधिनियम द्वारा शासित नहीं** होने और किसी अन्य कानून या विवाह के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का विकल्प चुन सकती है।

मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?

- **वर्ष 1986 अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या:**
 - न्यायालय के अनुसार **वर्ष 1986 के अधिनियम की धारा 3** में एक **गैर-अस्पष्ट खंड** है (तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद) यह दर्शाता है कि यह **CrPC की धारा 125 जैसे अन्य कानूनों** के तहत वैकल्पिक उपचारों पर रोक नहीं लगाता है।
- **एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर प्रस्तुतीकरण:**
 - एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर ने न्यायालय की टिप्पणी से सहमत व्यक्ति की और इस बात पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पर जोर दिया कि **वर्ष 1986 का अधिनियम CrPC की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है**।
 - **एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर** वह व्यक्ति या संस्था है जो मामले में पक्षकार नहीं है लेकिन न्यायालय को नरिणय लेने में सहायता करने के लिये विशेषज्ञता या जानकारी प्रदान करता है।
- **संवैधानिक सिद्धांत:**
 - न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 1986 के अधिनियम की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिये कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ देश में अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिये उपलब्ध सभी भरण-पोषण के अधिकारों की हकदार हैं।
 - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के साथ कम अनुकूल/प्रतिकूल व्यवहार करना **अनुच्छेद 14, 15 और 21 सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन** होगा।
- **वधायी आशय:**
 - याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वर्ष 1986 के अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को CrPC की धारा 125 के तहत राहत की मांग करने से रोकना था, न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा वधायी आशय था, तो अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा।
 - ऐसी स्पष्ट भाषा की अनुपस्थिति का अर्थ है कि **मुस्लिम महिलाओं पर धारा 125 के तहत राहत की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है**।

संबंधित पूर्व न्यायिक उदाहरण क्या हैं?

- **अर्शाया रज़िवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022, रज़िया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022** और **शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2023** जैसे फैसलों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दावे के अधिकार की पुष्टि की है कि **इददत अवधि पूरी होने के बाद भी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण/नरिवाह का प्रावधान है, जब तक कि वह विवाह/निकाह नहीं कर लेती**।
- **मुजीब रहमान बनाम तस्लीना मामले, 2022** में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने नरिणय किया कि **1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत**

अनुतोष प्राप्त न होने तक एक वधिछन्निन वविह/तलाकशुदा मुस्लमि महलिा CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है ।
◦ यह आदेश तब तक क्रयिानवति रहता है जब तक की धारा 3 के तहत संबद्ध व्यक्तद्वारा देय राशिका भुगतान नहीं कर दिया जाता ।

- नौशाद फ़्लोरशि बनाम अखलिा नौशाद, केस 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने नरिणय कयिा की एक मुस्लमि पत्नी जसिने खुला (पत्नी के कहने पर और उसकी सहमतीसे तलाक) की घोषणा करके तलाक लयिा था, वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने पतिसे भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है ।
 - CrPC की धारा 125(4) के अनुसार, एक पत्नी की अपने पति के साथ रहने की अनचिछा अनविर्य रूप से उससे मुक्त होने के लयि खुला के माध्यम से तलाक के लयि दाखलि करने के समान है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न: भारत के संवधिान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तसे वविह करने के कसिी व्यक्तके अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वविह का अधिकार भारत के संवधिान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, जसिमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयिा के अलावा कसिी भी व्यक्तको उसके जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयिा जाएगा" ।
- लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राजय मामले में वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 21 के तहत वविह के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा ।

अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है ।

?????????:

प्रश्न: रीत-रविाजों एवं परंपराओं द्वारा तरक को दबाने से प्रगतविरिध उत्पन्न हुआ है । क्या आप इससे सहमत हैं? (2020)